


5.4.19 पत्रावली प्रेषण वकील परसकार उपर ही विमानत हमाव
 आता हुका शा. का. किया गया विमान हमाव पर
 वकील परसकार ही खुना गया। किता हमाव लीका
 किये जाकर ग्राम चैचट की इकि ख. नं. 710, 2549
 किला 2 कवा 1.82 हे० का परसकार क मध्य निम्न
 प्रकार खाता विमान किया जाता है

क्र. सं.	नाम परसकार मय विमान	ख. नं.	कवा	रिमा
(1)	अमरीश पुत्र रामलाल जाति	710	0.09	रु०
	अहीर सा. देह	2549	0.37	रु०
		<u>किता 2</u>	<u>0.46 हे०</u>	<u>रु०</u>
(2)	प्रकाश पुत्र रामनाथ, सोपरी	710	0.27	रु०
	पुत्री रामनाथ, मन्सावार पली	2549	1.09	रु०
	रामनाथ अहीर सा. देह रि. सं.	<u>किता 2</u>	<u>1.36 हे०</u>	<u>रु०</u>

उपरोक्त अन्तिम डिक्री जारी हो राजपत्र
 रिफाई में अन्त समाप्त हो। नवम सं. लामिम
 की पाव।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2019 को
 मेरे द्वारा जिलाका जाकर खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।


 (चिन्नलाल मीना)
 R.A.S.

रीख इस मील ए

राजस्थान अदालत / कोर्ट कैम्प
स्थान जैसलमेर दिनांक 1/6/18

Judl/Civil
Part V-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, खल 6-7, जाफ़ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रा० म०डी न्याय चैचट

व इजलास हल्कागोपाल जोजन (R.A.S.)

जगदीश बनाम प्रकारा

दावा गभन 53 R.A.S. Act 1955

मुकद्दमा नं. 185 सन 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई ह्व-ह्व हल्कागोपाल जोजन (R.A.S.)

बहाजरी मिनजानिव मुद्दई व खलिवादीगठा

मिनजानिव मुद्दालाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है, व डिकरी दी जाती है कि सख्ति श्री एड लोक वाड वारी खीकार किया जाकर यह खोदसु रिम जात है कि ग्राम चैचट रु खसरा नं. 710, 2549 किला 2 टकवा 1.82 एकर का वारी एवं प्रति. नं. 1 वु 3 के मध्य रोडिंग विमान किया जाता है लहसीफाल राठ म०डी परसकाली के मध्य उफा खमि का निमम 18 स 21 के आवधानी अडुला विकाना उमाय पेस करे।

चीज मुवालग बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय मुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख बगुलयाबी तक को अदा करे।

यसगत भरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 06 2018.

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा सखगजमण्डी

मुद्दई	रकवा	पं.	मुद्दालाह	रकवा	पं.
स्टाम्प अर्जी वा	/		स्टाम्प वकालतनामा	/	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी			
स्टाम्प वजह सबूत		महतताना वकील पर			
महतताना वकील		खर्चा गवाहान			
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर			
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा			
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिक			
मुतफरिक			मीजान ...		
मीजान....					

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 139-2006-1; 00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
सखगजमण्डी